न्यायालय नायब तहसीलदार राजलदेसर (1)

मु.न. 2/2017

सरकार V/s राजकुमार पुत्र मालाराम जाति ब्राह्मण
निवासी पाबूसर

निर्णय

दिनांक 6/2/2017

प्रकरण संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का पाबूसर ने दिनांक 30/1/2017 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि राजकुमार पुत्र मालाराम जाति ब्राह्मण नि० पाबूसर ने ग्राम पाबूसर के ख.न 233 गै०मु. गोचर की कुल तादादी 82.04 बीघा मे से 0.04 बिस्वा भूमि पर तारबंदी कर बाड़ा बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं इसके संलग्न नकल जमाबंदी व P-14 की सत्यापित प्रति एवं मौका नक्शा के अवलोकन उपरान्त प्रकरण दर्ज रजि० किया गया तथा गैर सायल राजकुमार पुत्र मालाराम ब्राह्मण को राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत, इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप नोटिस में उल्लेखित भूमि दिनांक 6/2/2017 से पूर्व खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लीडर के जरिये दिनांक 6/2/2017 को 10 बजे पूर्वाह्न हाजिर होने तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहाँ से बेदखल क्यों न कर दिया जावें। उपरोक्त नोटिस गैर सायल को तामील होकर प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है।

गैर सायल दिनांक 6/2/2017 को जवाब हेतु नियत तिथी को उपस्थित नहीं आये तथा न ही इनकी ओर से कोई वकील या प्लीडर उपस्थित हुआ।

हमने आलोच्य प्रकरण के निस्तारण हेतु सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे की गैर सायल नोटिस तामील हो जाने के उपरान्त न तो न्यायालय में उपस्थित आये न ही कोई जवाब नोटिस पेश किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि गैर सायल कोई जवाब प्रस्तुत नहीं

लगातार - 2

Scanned by CamScanner

करना चाहते है जोकि स्पष्टरूप से अनाधिकृत कब्जा तारबंदी करने का कृत्य को स्वीकार करना है। पटवारी हल्का पाबूसर की रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट पाया गया है कि गैर सायल राजकुमार पुत्र मालाराम ब्राह्मण ने ग्राम पाबूसर के ख.नं. 233 गै.मु. गोचर की 0.04 बिस्वा भूमि पर तारबंदी कर अनाधिकृत कब्जा किया है, जो सार्वजनिक उपयोग भूमि है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर गैर सायल राजकुमार पुत्र मालाराम ब्राह्मण नि. पाबूसर को राजस्थान भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही ग्राम पाबूसर के ख.नं. 233 गै.मु. गोचर की 0.04 बिस्वा अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी राजकुमार पुत्र मालाराम ब्राह्मण को बेदखल किया जावे, भूमि कब्जे राज ली जावे अतिचारियो के विरुद्ध भू-राजस्व लगान की 50 गुणा राशि रुपये 4=00 (चार सौ रुपये मात्र) का तावान आरोपित किया जाता है।

निर्णय की पालना हेतु भू. अ. नि. मैलूसर को बेदखली कार्यवाही, पटवारी हल्का पाबूसर को तावान वसूली एवं D.L.R. को सहयोग हेतु तथा T.R.A. रतनगढ़ को तावान मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 6/2/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

39

4=00

तहसीलदार, रतनगढ़